प्रेसनोट
दिनांक 12.06.2024

थाना धानेपुर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण तथा हत्याभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में:–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0–174/24, धारा 302,506 भादवि से सम्बन्धित 02 आरोपी अभियुक्तों–01. राजेश शुक्ला पुत्र दुखहरण नाथ शुक्ला नि0 तुलसीरामपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा, 02. किरन पत्नी राजेश शुक्ला नि0 तुलसीरामपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को तुलसीरामपुरवा जाने वाली नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके निशानदेही से आलाकत्ल चाकू व खूनालूदा कपड़े बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 10/11.06.2024 की रात्रि राजेश शुक्ला पुत्र दुखहरण नि0 तुलसीपुर माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा डायल–112 पर सूचना दी गयी कि मुझे व मेरी बेटी को मेरे भाइयों ने मारा है व मारकर भाग गए हैं। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगणों द्वारा थाना स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तो पाया गया कि राजेश शुक्ला की पुत्री श्वेता उम्र लगभग 21 वर्ष घायलावस्था में फर्श पर पड़ी है व उसके गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। पुलिस टीम द्वारा तत्काल घायल को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भेजवाया गया । फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी थी। मृतका के नाना बृजबिहारी मिश्र पुत्र गोकरन नाथ मिश्र नि0 खिरई खिरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा की तहरीर पर थाना धानेपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष धानेपुर को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे तथा प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस को भी घटना के सफल अनावरण हेतु लगाया गया था। आज दिनांक 12.06.2024 को थाना धानेपुर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन व मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना का अनावरण करते हुए घटना में शामिल 02 आरोपी अभियुक्तों–राजेश शुक्ला पुत्र दुखहरन नाथ शुक्ला, 02. किरन पत्नी राजेश शुक्ला को तुलसीरामपुरवा जाने वाली नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उनके निशानदेही से आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण की पुत्री श्वेता (मृतका) की मां का देहांत कई वर्ष पूर्व हो चुका था जिसके उपरांत उसने दूसरी शादी कर ली थी । मृतका अपने पिता व सौतेली मां के साथ रह रही थी । अभियुक्त राजेश शुक्ला अपनी बेटी श्वेता की शादी शिवम शुक्ला पुत्र सुरेश शुक्ला नि0 टण्टनपुरवा उजेहना थाना कौड़िया जनपद गोण्डा से करना चाहता था जो पहले से दहेज मृत्यु के मुकदमे में जेल में है । जिससे श्वेता शादी करने से मना कर रही थी । इसी दौरान राजेश शुक्ला का अपने भाईयों से पैतृक मकान/जमीन के बटवारें को लेकर विवाद होने के कारण उनको फंसाने के उद्देश्य से अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 10/11.06.2024 की रात्रि अपनी पुत्री श्वेता की सब्जी काटने वाले चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी तथा डायल–112 पर अपने भाईयों को फंसाने के उद्देश्य से झूठी सूचना दी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राजेश शुक्ला (मृतका के पिता) पुत्र दुखहरण नाथ शुक्ला नि0 तुलसीरामपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

02. किरन पत्नी राजेश शुक्ला (मृतका की सौतेली मां) नि0 तुलसीरामपुरवा मौजा माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>–

01. मु0अ0सं0–174/24, धारा 302,506 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. आलाकत्ल चाकू।
02. खूनालूदा कपड़े।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. थानाध्यक्ष धानेपुर सुनील सिंह।
02. उ0नि0 नागेश्वरनाथ पटेल।
03. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार शुक्ला।
04. मु0अ0 आनन्द प्रकाश।
05. मु0अ0 सचिदानन्द यादव।
06. प्रभारी एस0ओ0जी/सर्विलांस सर्वजीत गुप्ता।
07. हेड का0 अरूण यादव।
08. हेड का0 महेन्द्र यादव।
09. हेड का0 अमित पाठक।
10. हेड का0 रणधीर।
11. हेड का0 रवि यादव।
12. का0 आदित्य पाल।
13. का0 अमितेश।
14. का0 अंशुमान पाण्डेय।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 12.06.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या करने की वांछित अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–148/24, धारा 304,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्ता–01. लक्ष्मी पत्नी लक्ष्मन, 02. सुनीता पुत्री राजेन्द्र को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी श्री रामदुलारे पुत्र माता प्रसाद निवासी कनकपुर थाना नवाबगंज द्वारा दिनांक 06.05.2024 को थाना नवाबगंज पर सूचना दी गयी कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षीगणों से मारपीट की घटना घटित हुई थी जिसमें जिसमें मुझे चोटे आयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0– 148/2024 धारा 323, 504, 506 भादवि बनाम राजेन्द्र आदि 04 नफर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा द्वारा की जा रही थी। इलाज के दौरान वादी रामदुलारे की मृत्यु हो गयी थी। जिसके आधार पर धारा 304 भादवि की बढोत्तरी की गयी थी। आज दिनांक 12.06.2024 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पायी गयी 02 वांछित अभियुक्ता–01. लक्ष्मी पत्नी लक्ष्मन, 02. सुनीता पुत्री राजेन्द्र को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ता–

01. लक्ष्मी पत्नी लक्ष्मन नि0 कनकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
02. सुनीता पत्नी राजेन्द्र नि0 कनकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–148/24, धारा 304,323,504,506 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 त्रियुगी प्रसाद शर्मा।
02. हे0का0 सूर्यभान।
03. म0का0 नीलू सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।